न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 186/20

प्रार्थी :– ओमप्रकाश पुत्र मेलाराम जाति भील निवासी मण्डापुरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :– 1 श्री जेठूलाल कुमावत प्रार्थी वकील

आदेश

दिनांक :–22.02.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 2304/930 रकबा 01 बीघा मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 927 रकबा 03 बीघा व 929 रकबा 08 बीघा में संलग्न नजरी नक्शें परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ए से बी तक बरंग लाल के रास्ता 30 फीट आम रास्ता तक आवागमन एवं कृषि उपयोग करवाना चाहते है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को दिनांक 20..11.2020 नोटिसेज जारी किये गये। सरकारी पैरोकार उपस्थित । तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर दिनांक 12.10.2020 को जारी की गयी जिसकी पालना में मौका रिपौर्ट तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2020/287 दिनांक 10.02.2021 जो इस न्यायालय में दिनांक 11.02.2021 को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 2304/930 रकबा जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा न0 927, 929 में से [illegible] पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की है जो अधिक निकट एवं [illegible] मौके पर खाली एवं विवादरहित है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान बाजार डी0 एल0सी0 दर 166680/ रूपये प्रति बीघा है। मौके पर 30 फीट के रास्ते हेतु कुल रकबा कमशः 04 बिस्वा 15 बिस्वांसी व 12 बिस्वा 07 बिस्वांसी कुल रकबा 17 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

02 बिस्वासी भूमि बनती है। जिसके अनुसार दुगनी दर से कुल राशि 285023/ रूपये बनते है।

वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया बाद अवलोकन यह पाया गया न्यायालय में प्रस्तुत तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्रम मौजा मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 2304/930 रकबा जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा न0 927, 929 में से चाही गयी .है । मौके पर 30 फीट के रास्ते हेतु कुल रकबा कमशः 04 बिस्वा 15 बिस्वांसी व 12 बिस्वा 07 बिस्वांसी कुल रकबा 17 बिस्वा 02 बिस्वासी भूमि बनती है। चूंकि प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के लिये उपयोग हेतु धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी आवेदन पत्र को स्वीकार में किये जाने में किसी प्रकारी की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 2304/930 रकबा जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा न0 927, 929 में से .में से प्रार्थी को आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल. सी रेट अनुसार डीएलसी रेट 166680/ रूपये प्रति बीघा के अनुसार है जिसकी दुगनी दर से 285023/– रूपये बनते है । उक्त राशि का भुगतान प्रार्थी स्वंय विप्रार्थी को अदा करे, विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा राजकोष में जरिये चालान जमा करवाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:19:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner